बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

विद्यापति मार्ग, पटना – 800001

BIHAR STATE BOARD OF RELIGIOUS TRUSTS

Vidyapati Marg, Patna- 800001

Phone & Fax No : - 0612-2508940, 2508944, E.mail : - dharmiknayas@gmail.com

O/C

पत्रांक : 1806 दिनांक : 17/8/2023

–: अ धि सू च ना :–

श्री राधा कृष्ण जी महराज, ग्राम+पो0–ससौला सभा, थाना+अंचल–सुप्पी, जिला–सीतामढ़ी पर्षद् के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या–3637 है।

पर्षद द्वारा दोनों पक्षों से तथा ग्रामीणों से उक्त मंदिर की व्यवस्था हेतु सहमति पूर्वक न्यास समिति बनाये जाने के संबंध में नामों की मांग की गयी, जिसमें ग्रामीणों की तरफ से 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसमे दानदाता परिवार के सोमेश्वरनाथ मिश्र भी प्रस्तावित किये गये हैं, दूसरा प्रस्ताव मुरलीधर मिश्र के द्वारा दिनांक–17.04.2023 को दिया गया, जिसमें उन्होंने स्वयं मुरलीघर मिश्र के नाम का प्रस्ताव दिया। उक्त तीनों नाम वही है जो वर्त्तमान में उक्त मंदिर की भूमि को अवैध रूप से कब्जा करके पिछले कई वर्षो से निजी प्रयोग में ले रहे हैं और इस संबंध में उनका कथन है कि वह दाता परिवार से आते है, जबकि दानदाता जनार्दन व गजाधर मिश्र द्वारा समर्पणनामा में अपने किसी भी पुत्र, पौत्र या वंशज को मंदिर के संबंध में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया है और उक्त तीनों व्यक्तियों के कारण ही आज मंदिर की दुर्दशा हो गयी है।

अतः उक्त तीनों व्यक्तियों को मंदिर की व्यवस्था में रखना उचित नहीं होगा, चूंकि पर्षद द्वारा काफी समझाये जाने पर भी तीनों व्यक्ति सगे भाई होने के बावजूद भी एक–दूसरे के उपर आरोप–प्रत्यारोप तथा अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।

उपरोक्त परिस्थिति में मैं अखिलेश कुमार जैन, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0–43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **श्री राधा कृष्ण जी महराज, ग्राम+पो0–ससौला सभा, थाना+अंचल–सुप्पी, जिला–सीतामढ़ी** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु निम्नांकित योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए पर्षद के विस्तृत आदेश दिनांक–28.06.2023 के आलोक में न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम "**श्री राधा कृष्ण जी महराज, ग्राम+पो0–ससौला सभा, थाना+अंचल–सुप्पी, जिला–सीतामढ़ी न्यास योजना होगा**" तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम "**श्री राधा कृष्ण जी महराज, ग्राम+पो0–ससौला सभा, थाना+अंचल–सुप्पी, जिला–सीतामढ़ी न्यास समिति**" होगा। जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा अध्यक्ष या सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चत करेंगे तथा वार्षिक आय का विवरण बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत एवं देय शुल्क राशि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे।

6. न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे ऐसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा।

7. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद् को प्रेषित की जायेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यवाहक अध्यक्ष/उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगें।

8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

9. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ–साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

10. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकुल कार्य करते पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान ही उन्हे सदस्यता से मुक्त किया जा सकता हैं।

12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होगें तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

13. न्यास समिति द्वारा किसी प्रकार कोई आयोजन किया जाता है तो जिसमें 05 लाख से अधिक की राशि खर्च का अनुमान हो तो खर्च करने से पूर्व पर्षद से अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसी प्रकार यदि मंदिर के विकास या संरचना के मद में 10 लाख रूपये अधिक की राशि खर्च होने का अनुमान हो तो उसका अनुमानित खर्च विवरणी प्रस्तुत कर पूर्व अनुमति पर्षद से लेना आवश्यक है और यदि उपरोक्त राशि निर्धारित सीमा के अन्दर आती है तो भी उसकी सूचना पर्षद को दी जाएगी।

14. न्यास समिति द्वारा किसी भी प्रकार का किराया/बन्दोबस्ती आदि तीन वर्ष से अधिक नहीं दिय जाएगा।

15. पशुओं के होने वाले बध और उनके प्रति होने वाली क्रुरता पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 (पी0सी0ए0) की धारा–11 भारतीय दंड संहिता (आई0पी0सी0) की धारा–428, 429 के तहत् दंडनीय अपराध बनाया गया है।

अतः न्यास/मठ/मंदिर में रहने वाल पशुओं (गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/ भोजन नहीं देना/ऐसा कोई कार्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षताः करना जिसका उद्देश्य "पशु का बध) होता' हों या उक्त कार्यो को बढ़ावा मिलता हों, ऐसा कोई कार्य न्यासधारी/सेवैत/महंत/न्यास समिति के सदस्य द्वारा नहीं किया जायेगा।

16. सभी सदस्य एक वॉट्सएप ग्रुप बनायेगें और सूचना का आदान–प्रदान उक्त वॉट्सएप ग्रुप के माध्यम से करेगें।

17. मंदिर परिसर में बच्चों से भीक्षाटन या किसी प्रकार का अनुचित कार्य कराने पर रोक रहेगी।

अतः उपरोक्त विचारोपरान्त उक्त मंदिर/न्यास के परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु मंदिर की देखभाल हेतु अंचलाधिकारी की अध्यक्षता में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपन करते हुए निम्न

न्यास समिति का गठन किया जाता है :–

1. श्री कुमार राघवेन्द्र सिंह (आई0एफ0एस0 रिटायर्ड), पिता स्व0 कुमार सुरेन्द्र सिंह	–	अध्यक्ष
2. श्री हेमन्त कुमार मिश्र	–	उपाध्यक्ष
3. अंचल अधिकारी	–	पदेन सचिव
4. श्री कृष्णचंद पाठक पिता स्व0 राम अयोध्या पाठक	–	कोषाध्यक्ष
5. डॉ0 त्रिपुरारी प्रसाद पिता स्व0 रामविलास सिंह	–	सदस्य
6. श्री राजेश मिश्र पंजीकार	–	सदस्य
7. श्री विकास कुमार झा पिता उदयकांत झा	–	सदस्य
8. श्री अजय झा पिता स्व0 अनन्त लाल झा	–	सदस्य
9. श्री नचिकेता ठाकुर पिता स्व0 जितेन्द्र ना0 ठाकुर	–	सदस्य
10. श्री शिवेन्द्र सिंह पिता स्व0 राजीनन्दन सिंह	–	सदस्य
11. श्री श्याम किशोर मिश्र पिता सरयुग मिश्र	–	सदस्य

उपरोक्त न्यास समिति अस्थायी रूप से 01 वर्ष के लिए बनायी जाती है और कार्य संतोषजनक पाये जाने पर समिति का कार्यकाल आगे विस्तार किये जाने पर विचार किया जायेगा। न्यास समिति मंदिर में पूजा–पाठ राग–भोग आदि करने के लिए पुजारी रखने हेतु स्वतंत्र रहेगी।

NOTE:- राजस्व अभिलेख में मंदिर के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम (श्री राधा कृष्ण जी महराज, ग्राम+पो0–ससौला सभा, थाना+अंचल–सुप्पी, जिला–सीतामढ़ी न्यास) पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संशोधन नहीं होगा।

भवदीय

ह0/–
(अखिलेश कुमार जैन)
अध्यक्ष।

ज्ञापांक :– 1806 दिनांक :– 17/8/2023

प्रतिलिपि :–नव गठित न्यास समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अखिलेश कुमार जैन)
अध्यक्ष।